

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2018

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. समर बहादुर पुत्र जगजीवन लाल जाति यादव निवासी तहसील फूलफल, इलाहाबाद हाल निवासी पादरू, जिला बाड़मेर (मैसर्स मैसर्स लक्ष्मीनारायण बर्फी मावा पादरू जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. यादव जगजीवन लाल पुत्र राम प्रसाद जाति यादव निवासी तहसील फूलफल, इलाहाबाद हाल निवासी पादरू, जिला बाड़मेर (मैसर्स मैसर्स लक्ष्मीनारायण बर्फी मावा पादरू जिला बाड़मेर का प्रोप्राइटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 01.09.2021



प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान मैसर्स लक्ष्मीनारायण बर्फी मावा पादरू जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 26.12.2017 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ फीका मावा (खोया) जो कि दो थाल में करीब 15 कि०ग्रा० रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 02 कि०ग्रा० फीका मावा (खोया) वापस लेना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-864 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ फीका मावा (खोया) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक

प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 में उक्त खाद्य पदार्थ **फीका मावा (खोया)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिरक्षण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of Extracted Fat at 40 degree C जिसका मानक स्तर 40-44 के मुकाबले 44.41 एवं Milk Fat Content of the finished product (on dry weight basis) जिसका मानक स्तर न्यूनतम 30% के मुकाबले 16.25% पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का जवाब नहीं देना अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया



खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2018/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम समर बहादुर व अन्य

जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर